न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 159 / 2023 तारीख रजू :– 27.10.2023

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

1. रामजीलाल उम्र 70 वर्ष पुत्र लोहडयाराम
2. शिवराम उम्र 60 वर्ष पुत्र लोहडयाराम
3. सोमोत्याराम उम्र 55 वर्ष पुत्र लोहडयाराम
4. मनोहरलाल उम्र 47 वर्ष पुत्र लोहडयाराम
5. शिवचरण उम्र 51 वर्ष पुत्र लोहडयाराम
6. रामहरि उम्र 35 वर्ष पुत्र गंगासहाय

समस्त जाति मीना निवासी सरसैना तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी
2. ग्राम पंचायत भनकपुरा पंचायत समिति टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

प्रतिवादीगण

दावा बावत् इन्द्राज दुरूस्ती रिकार्ड जमाबन्दी, ट्रेस

अन्तर्गत धारा 88 राज0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1 श्री हंसराम गुर्जर एडवोकेट प्रार्थी

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम अप्रार्थी नं0 1

निर्णय दिनांक– 19.08.2025

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि गत खसरा नम्बर 132 रकवा 19 [illegible] खसरा नम्बर 131 रकवा 01 बीघा 05 विस्वा किस्म गैरमु0 श्मशान भूमि [illegible] चक नं0 1 तहसील टोडाभीम में स्थित है। रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी स[illegible] 2038–41 तक गत भूमि खसरा नम्बर 132 रकवा 19 विस्वा गैरमुमकिन आब[illegible] दर्ज है तथा गत ट्रेस में इस भूमि को अलग से दर्शाया गया है। गत खसरा नम्बर 132 रकवा 19 बिस्वा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

हाल खसरा नम्बर 248 रकवा 0.12 है0 कायम किया है तथा अन्य भी खसरा नम्बर हाल कायम किये है। मिलान क्षेत्रफल में भी यही दर्शाया है। हाल जमाबनदी में खसरा नम्बर 248 रकवा 0.12 है0 भूमि गै0मु0 आबदी दर्ज तथा खातेदारी कालम में ग्राम पंचायत के नाम खातेदारी दर्ज है। तहसील टोडाभीम में भूप्रबन्ध का कार्य हुआ था, दौराने भूप्रबन्ध, भूप्रबन्ध अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ मौका, गलत, अवैध रूप से हाल खसरा नम्बर 248 रकवा 0.12 है0 को हाल ट्रेस में गलत स्थान पर दर्शा दिया है जबकि यह खसरा नम्बर 248 रकवा 0.12 है0 हाल खसरा नम्बर 246, 250 के पास होना चाहिये था तथा यहां पर आबादी है। गत ट्रेस के अनुसार हाल ट्रेस तैयार नहीं किया है। वादीगण को भूमि गत खसरा नम्बर 132 में आबादी का विक्रय विलेख पट्टा निःशुल्क आबादी हेतु आवंटन भी दिनांक 06.01.1975 में जारी हुआ है। वादीगण इस भूमि में पिछले 50 साल से अपने पिता के समय से ही रिहायश कर रहे है, पक्के मकान बने हुये है।

वादीगण अशिक्षित, ग्रामीण व्यक्ति है। भू प्रबन्ध की इस गलत कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। वादीगण पटवारी हल्का से दिनांक 23.10.2023 को अपनी रिहायशी भूमि का रिकार्ड जमाबन्दी, ट्रेस आदि देखने व नकल लेने गये तब पटवारी ने कहा कि तुम्हारी आबादी की भूमि को ट्रेस में अन्य स्थान पर दर्शाया गया है, तब वादीगण तहसीलदार टोडाभीम के पास गये तब उन्होने ने कहा कि दुरूस्ती का दावा पेश करो, तब ही रिकार्ड में दुरूस्ती हो सकती है। अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत् इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर हाल ट्रेस बावत् खसरा नम्बर 248 रकवा 0.12 है0 ग्राम सरसैना चक नं0 1 तहसील टोडाभीम को गत ट्रेस गत खसरा नम्बर 132 किस्म गै0मु0 आबादी के अनुसार हाल खसरा नम्बर 250, 246 के पास दर्शाया जाने का आदेश प्रदान किये जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु आदेश जारी किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण नं0 2 की ओर अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधिवक्ता ने जबाव प्रस्तुत किया कि वादीगण ने यह वादपत्र गत खसरा नम्बर 132 किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम सरसैना चक नं0 1 के गत ट्रेस के अनुसार हाल ट्रेस में दुरूस्ती के संबंध में पेश किया है। दौराने भूप्रबन्ध ट्रेस में गलती कर दी गई है। उसी के संबंध में वादपत्र पेश किया है। अतः गत ट्रेस गत खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

नम्बर 132 किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम सरसैना चक नं0 1 के अनुसार दुरूस्ती करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रतिवादीगण नं0 1 की ओर से पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में आराजी खसरा नम्बर 248 रकवा 0.12 है0 ग्राम पंचायत भनकपुरा गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है। नवीन नक्शा ट्रेस में दर्ज खसरा नम्बर 248 मुताबिक साबिक सीट के अनुसार सही स्थान पर स्थापित नहीं किये गये है जबकि साबिक खसरा नम्बर 132 की तरमीम नक्शा सीट में सही है। नवीन नक्शा सीट में सही दर्ज नहीं है। अत ग्राममम सरसैना चक नं0 1 आराजी खसरा नम्बर 248 की तरमीम साबिक सीट के अनुसार नवीन नक्शा सीट में खसरा नम्बर 246 की दक्षिण भुजा की तरफ तथा खसरा नम्बर 250 की उत्तरी भुजा की तरफ पूर्व से पश्चिम भुजा की ओर तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रतिवादीगण नं0 2 की ओर कोई उपस्थित नही हुआ बार–बार आवाज दिलाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

मैने अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि हाल ट्रेस खसरा नम्बर 248 रकवा 0.12 है0 ग्राम सरसैना चक नं0 1 तहसील टोडाभीम को गत ट्रेस गत खसरा नम्बर 132 किस्म गै0मु0 आबादी के अनुसार हाल खसरा नम्बर 250, 246 के पास दर्शाया जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जबाब के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सरसैना चक नं0 1 के आराजी खसरा नम्बर 248 की तरमीम साबिक सीट के अनुसार नवीन नक्शा सीट में खसरा नम्बर 246 की दक्षिण भुजा की तरफ तथा ख0नं0 250 की उत्तरी भुजा की तरफ पूर्व से पश्चिम भुजा की ओर तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में शामिल तहसीलदार रिपोर्ट मय दस्तावेजों, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। साबिक जमा[illegible] साबिक नक्शे का मिलान किया। साबिक नक्शे व हाल नक्शे में कोई [illegible] नहीं होती है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 132 [illegible] खसरा नम्बर 250/1.12, 245/0.01, 248/0.12, 249/0.03 है0 साबिक न[illegible] शीट तथा नक्शा किश्तवार सम्वत् 2043 का मिलान करने पर खसरा नम्बर 132 से बने सभी खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

क्रमबद्ध व संबंद्ध है। खसरा नम्बर 248, खसरा नम्बर 250 के नवीन सृजित खसरा नम्बरों से संबंध/जुडा हुआ है जो कि सभी 132 के भाग है। तहसीलदार की रिपोर्ट तथा प्रार्थी के दस्तावेजो में यह सिद्ध नहीं होता है कि ख0नं0 248 को गलत दर्शाया गया है तथा इसे खसरा नम्बर 250 व 246 के पास दर्शाया जाना चाहिये था। खसरा नम्बर 248 पूर्व में ही खसरा नम्बर 250 के (नवीन सृजित नं0 250/259) संबंद्ध/जुडा हुआ है तथा ये उक्त खसरा नम्बर इनके मूल/साबिक खसरा नम्बर 132 के स्थान पर बने है। (साबिक व हाल नक्शा शीट अनुसार) अतः वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष दस्तावेजों के आधार पर सिद्ध नहीं होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय दिनांक 19.08.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested